संख्या- 10/142/बयालिस-2015-45(बजट)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 12 मार्च, 2015**

विषय- अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल परिसर सैफई इटावा के वाह्य स्थल विकास एवं एथलेटिक्स स्टेडियम में इन्ट्रेन्स के रेनोवेशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 683/नि0सैफई इटावा/2014-15, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल परिसर सैफई इटावा के वाह्य स्थल विकास एवं एथलेटिक्स स्टेडियम में इन्ट्रेन्स के रेनोवेशन के सम्बन्ध में मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 1613.28 लाख (रू0 सोलह करोड़ तेरह लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना मद में व्यवस्थित धनराशि में हो रही बचत के दृष्टिगत् रू0 06.00 करोड़ (रू0 छः करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर अवमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 06.00 करोड़ (रू0 छः करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5)- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निष्प्रयोज्य सामग्री को नियमानुसार निस्तारित करते हुए उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7)- प्रायोजना में आन्तरिक रोड़ एवं पाथवे, सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रेन, सी0सी0 रोड़ एवं हार्टीकल्चर कार्य की लागत डी0एस0आर0 पर प्रस्तावित की गयी है। अतः इन कार्य मदों का जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन किया जाये तथा इस आगणन पर तकनीकी स्वीकृति के पश्चात निर्माण कार्य कराया जाय।

(8)- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) को रोकने के दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम मे आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

(9)- प्रदेश में स्थापित होने वाले विभिन्न प्रकार के स्टेडियमों एवं क्रीड़ा संकुलों के मेन्टीनेन्स एवं रख-रखाव हेतु आर्थिक संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर एक नीति बनायी जाय, जिससे प्रदेश में निर्मित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सृजित परिसम्पत्तियों का मैन्टीनेन्स/रख-रखाव ठीक ढंग से हो सके, जिसका दीर्घाकालिक लाभ प्रदेश के खिलाड़ियों को प्राप्त हो सकें।

(10)- प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो जाये।

(12)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

(13)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य निर्धारित विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14)- प्रश्नगत प्रायोजना में एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल, क्लेडिंग, एल्यूमिनियम ग्लेजिंग, पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम, सैंथेटिक एनेमल पेन्ट तथा फसाड लाइट आदि उच्च विशिष्टियों के कार्य सक्षम स्तर के अनुमोदन से सम्मिलित की गयी है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-86-सैफई में स्टेडियमों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 322/दस-2015, दिनांक 10 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 10/142(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्यकोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इटावा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, सैफई।

.....3

http://shasanadesh.up.nic.in

(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in